रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 1973/माघ 3, 1894
No. 13] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 1973/MAGHA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

ORDERS

New Delhi, the 23rd January 1973

THE STATE OF HIMACHAL PRADESH (ADAPTATION OF LAWS ON UNION SUBJECTS) ORDER, 1973

G.S.R. 26(E).—Whereas by sub-section (2) of section 49 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970), the Central Government is empowered, by order, to make such adaptations and modifications of any law made before the 25th day of January, 1971, relating to a matter in List I in the Seventh Schedule to the Constitution, as may be necessary or expedient for the purpose of facilitating the application of such law in relation to the State of Himachal Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the State of Himachal Pradesh (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1973.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 25th day of January, 1971.

2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. The laws mentioned in the Schedule to this Order shall, until altered, repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect subject to the adaptations and modifications directed by that Schedule.

THE SCHEDULE

THE INDIAN STAMP ACT, 1899

(2 OF 1899)

Section 57.—In sub-section (1), *omit* clause (bb).

THE DESIGNS ACT, 1911

(2 OF 1911)

Section 2.—In clause (7), *omit* sub-clause (bb).

THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934

(2 OF 1934)

The First Schedule.—In paragraph 3, after "Haryana" *Insert* "Himachal Pradesh," and *for* "Himachal Pradesh and Delhi", *substitute* "and Delhi".

THE INDIAN NURSING COUNCIL ACT, 1947

(48 OF 1947)

Section 3.—In sub-section (1),—

(1) in clause (g), in sub-clause (iii), *after* "Punjab," *Insert* "Himachal Pradesh,";

(2) in clause (m), in sub-clause (ii), *after* "Gujarat," *Insert* "Himachal Pradesh,".

THE WEALTH-TAX ACT, 1957

(27 OF 1957)

Section 269.—*Omit* clause (iia).

THE GIFT-TAX ACT, 1958

(18 OF 1958)

Section 28B.—*Omit* clause (iia).

THE INCOME-TAX ACT, 1961

(43 OF 1961)

Section 269.—*Omit* clause (iia).

THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963

(20 OF 1963)

Section 3.—*For* sub-section (2), *substitute*—

"(2) The total number of seats in the Legislative Assembly of a Union territory to be filled by persons chosen by direct election shall be thirty.".

THE PATENTS ACT, 1970

(39 OF 1970)

Section 2.—In sub-section (1), in clause (i), in sub-clause (i), *omit* "and the Union territory of Himachal Pradesh".

[No. F. 19(2)/71-LI.]

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1973

हिमाचल प्रदेश राज्य (संघ के विषयों के बारे में विधियों का अनुकूलन) आदेश, 1973

सा० का० नि० 26(अ).—यत: हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 49 की उपधारा (2) द्वारा केन्द्रीय सरकार को, आदेश द्वारा, संविधान को सप्तम अनुसूची की सूची 1 में किसी विषय से सम्बन्धित 25 जनवरी, 1971 के पूर्व बनाई गई किसी विधि में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण करने के लिये सशक्त बनाया गया है, जो हिमाचल प्रदेश रज्य के सम्बन्ध में ऐसी विधि का लागू करना सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो ;

अत: अब हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 49 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

(1) इस आदेश का नाम हिमाचल प्रदेश राज्य (संघ के विषयों के बारे में विधियों का अनुकूलन) आदेश, 1973 है ।

(2) यह 25 जनवरी, 1971 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 इस आदेश के निर्वचन को वैसा ही लागू होगा जैसा वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन को लागू होता है ।

4. 3. इस आदेश की अनुसूची में कथित विधियां, जब तक वे सक्षम विधान मण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दी जाएं, तब तक उस अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलनों तथा उपान्तरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगी ।

अनुसूची

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

(1899 का 2)

धारा 57—उपखण्ड (1) में, खण्ड (खख) का लोप करें ।

डिजाइन अधिनियम, 1911

(1911 का 2)

धारा 2—खण्ड (7) में, उपखण्ड (खख) का लोप करें ।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

(1934 का 2)

प्रथम अनुसूची—पैरा 3 में "हरियाणा" के पश्चात् "हिमाचल प्रदेश", अन्त:स्थापित करें और "हिमाचल प्रदेश और दिल्ली" के स्थान पर "और दिल्ली" प्रतिस्थापित करें ।

भारतीय परिचर्या परिषद्, अधिनियम, 1947

(1947 का 48)

धारा 3—उपधारा (1) में—

(1) खण्ड (छ) में, उपखण्ड (iii) में "पंजाब" के पश्चात्, "हिमाचल प्रदेश" अन्तःस्थापित करें।

(2) खण्ड (ड) में, उपखण्ड (ii) में, "गुजरात" के पश्चात् "हिमाचल प्रदेश" अन्तःस्थापित करें।

धन-कर अधिनियम, 1957

(1957 का 27)

धारा 29ख—खण्ड (iक) का लोप करें।

दान-कर अधिनियम, 1958

(1958 का 18)

धारा 28ख—खण्ड (iक) का लोप करें।

आय-कर अधिनियम, 1961

(1961 का 43)

धारा 269—खण्ड (iक) का लोप करें।

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963

(1963 का 20)

धारा 3,—उपखण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"(2) किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या 30 होगी।"

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

धारा 2,—उपधारा (1) में, खण्ड (i) में, उपखण्ड (i) में, "तथा हिमाचल प्रदेश का संघ राज्यक्षेत्र" का लोप करें।

[सं० फा० 19(2)/71–वि०]

G.S.R. 27(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 49 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970) and section 79 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act 1971 (81 of 1971), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the Public Employment (Requirement as to Residence) Act (Adaptation) Order, 1973.

(2) It shall be deemed to have come into force,—

(i) in so far as it relates to the State of Himachal Pradesh, on the 25th day of January, 1971; and

(ii) in so far as it relates to the States of Manipur and Tripura, on the 21st day of January, 1972.

2. In its application to the States of Himachal Pradesh, Manipur and Tripura, the Public Employment (Requirement as to Residence) Act, 1957 (44 of 1957) shall, until altered, repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule to this Order.

THE SCHEDULE

THE PUBLIC EMPLOYMENT (REQUIREMENT AS TO RESIDENCE) ACT, 1957

(44 OF 1957)

Section 3.—In sub-section (1),—

(1) in clause (b), *for* "under the control of the Administrator of Himachal Pradesh, Manipur or Tripura", *substitute* "under the State Government of Himachal Pradesh, Manipur or Tripura";

(2) in clause (c), *for* "within the Union territory of", *substitute* "within the State of";

(3) in the concluding portion, *for* "the said Union territory", *substitute* "the said State".

[No. F. 19(2)/71-LI.]

K. K. SUNDARAM, Secy.

सा० का० नि० 27(अ).—हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 49 की उपधारा (2) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित आदेश एतद्द्वारा करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम लोक नियोजन (निवास विषयक अपेक्षाएं) अधिनियम (अनुकूलन) आदेश, 1973 है ।

(2) यह—

(i) जहां तक उसका सम्बन्ध हिमाचल प्रदेश राज्य से है, वहां तक 25 जनवरी, 1971 को ; और

(ii) जहां तक उसका सम्बन्ध मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों से है वहां तक 21 जनवरी, 1972 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों को उसके लागू होने में लोक नियोजन (निवास विषयक अपेक्षाएं) अधिनियम, 1957 (1957 का 44) जब तक किसी सक्षम विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न हो, तब तक इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुकूलनों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होगा ।

अनुसूची

लोक नियोजन (निवास विषयक अपेक्षाएं) अधिनियम, 1957 (1957 का 44)
धारा 3,—उपधारा (1) में—

(1) खण्ड (ख) में, "हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या त्रिपुरा के प्रशासक के नियन्त्रणाधीन" के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या त्रिपुरा की राज्य सरकार के अधीन" प्रतिस्थापित करें ;

(2) खण्ड (ग) में "के संघ राज्य क्षेत्र के भीतर" के स्थान पर "के राज्य के भीतर" प्रतिस्थापित करें ;

(3) अन्तिम भाग में, "उक्त संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर "उक्त राज्य" प्रतिस्थापित करें ।

[सं० फा० 19(2)/71-वि०]

के० के० सुन्दरम, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973